के. नंदाकुमार

बनाम

प्रबंध निदेशक, थंथाई पेरियार ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन

14 फरवरी, 1996

[एस.पी. भरूचा और एस.बी. मजूमदार, न्यायमूर्तिगण]

मोटर वाहन अधिनियम, 1939:

धारा 92-ए - दुर्घटना दावा- उपबंध के सीधे पाठन पर ऐसा मानने का कोई आधार नहीं है कि दावा केवल तभी किया जा सकता था जब मरने वाले या स्थायी निशक्तता का शिकार होने वाले व्यक्ति ने उपेक्षा न की हो।

गुजरात राज्य सड़क परिवहन निगम, अहमदाबाद बनाम रमनभाई प्रभातीभाई और एक अन्य, **[1987] 3 एस.सी.सी. 234 और** *मीनू बी. मेहता और अन्य बनाम बालकृष्ण रामचंद्र नायर और एक अन्य,* **[1977] 2 एस.सी.सी. 441, का विभेदन किया गया।**

दीवानी अपीलीय क्षेत्राधिकार: 1992 की दीवानी अपील संख्या 3356

मद्रास उच्च न्यायालय के 1991 के सी.एम.ए. संख्या 694 में पारित निर्णय और आदेश दिनांक 20.09.1992 से।

अपीलकर्ताओं के लिए वी. बालचंद्रन और वी. रामसुब्रमण्यम।

उत्तरदाताओं के लिए श्रीमती अरुणा माथुर और ए. मरिअरपुथम।

न्यायालय का निम्नलिखित आदेश सुनाया गया :

अपीलकर्ता 15 जनवरी, 1987 को एक मोटर दुर्घटना में घायल हो गया था। दुर्घटना उस मोटर साइकिल, जिसे अपीलकर्ता चला रहा था, और उत्तरदाता की एक बस के बीच टक्कर के कारण हुई थी। अपीलकर्ता ने मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, मद्रास के समक्ष एक दावा याचिका दायर कर उत्तरदाता से 2,00,000 रुपये की राशि में क्षतिपूर्ति की मांग

की। उत्तरदाता ने दावे का विरोध किया और आरोप लगाया कि अपीलकर्ता ही लापरवाह था। इस संबंध में उत्तरदाता के मामले को न्यायाधिकरण द्वारा और अपील में उच्च न्यायालय द्वारा बरकरार रखा गया था। इस निष्कर्ष को अब चुनौती नहीं दी गई है।

यह पाया गया था कि अपीलकर्ता को दुर्घटना के परिणामस्वरूप स्थायी निशक्तता हुई और यह विवाद का विषय नहीं है। जो बात विवाद के विषय में है वह आक्षेपित आदेश में उच्च न्यायालय का यह निष्कर्ष है कि, इसके बावजूद, अपीलकर्ता मोटर वाहन अधिनियम, 1939 की धारा 92-ए के अंतर्गत "बिना किसी दोष के क्षतिपूर्ति" का हकदार नहीं था। उच्च न्यायालय के अनुसार, अपीलकर्ता इस क्षतिपूर्ति का हकदार नहीं था क्योंकि वह लापरवाही का दोषी पाया गया था। उसने संशोधन अधिनियम के उद्देश्यों और कारणों के कथन पर भरोसा किया जिसके कारण अध्याय VII-ए में धारा 92-ए को शामिल किया गया था, और इस न्यायालय के गुजरात राज्य सड़क परिवहन निगम, *अहमदाबाद बनाम रमनभाई प्रभातीभाई और एक अन्य,* [1987] 3 एस.सी.सी. 234, और *मीनू बी. मेहता और एक अन्य बनाम बालकृष्ण रामचंद्र नायर और एक अन्य*, [1977] 2 एस.सी.सी. 441 के निर्णयों पर भरोसा करते हुए यह अवधारित किया कि उक्त धारा 92-ए के उपबंध केवल तभी लागू होते हैं जब, यथास्थिति, मृतक या घायल व्यक्ति की ओर से कोई लापरवाही न हो।

धारा 92-ए निम्नानुसार पठित है :

"धारा 92-ए. बिना किसी दोष के सिद्धांतों पर कुछ मामलों में क्षतिपूर्ति का भुगतान करने का दायित्व। - (1) जहां किसी व्यक्ति की मृत्यु या स्थायी निशक्तता मोटर वाहन या मोटर वाहनों के उपयोग से उत्पन्न होने वाली दुर्घटना के परिणामस्वरूप हुई है, वाहन का स्वामी, या, यथास्थिति, वाहनों के स्वामी, संयुक्त रूप से और पृथक रूप से, इस धारा के उपबंधों के अनुसार ऐसी मृत्यु या निशक्तता के संबंध में क्षतिपूर्ति का भुगतान करने के लिए दायी होंगे।

(2) क्षतिपूर्ति की राशि जो किसी व्यक्ति की मृत्यु के संबंध में उप-धारा (1) के अंतर्गत देय होगी, वह पंद्रह हजार रुपये की एक निश्चित राशि होगी और किसी व्यक्ति की स्थायी निशक्तता के संबंध में उक्त उप-धारा के अंतर्गत देय क्षतिपूर्ति की राशि सात हजार पांच सौ रुपये की एक निश्चित राशि होगी।

(3) उप-धारा (1) के अंतर्गत क्षतिपूर्ति के लिए किसी भी दावे में, परिवादी से यह अभिवचन करने और स्थापित करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी कि मृत्यु या स्थायी

निशक्तता जिसके संबंध में दावा किया गया है, वह संबंधित वाहन या वाहनों के स्वामी या स्वामियों के या किसी अन्य व्यक्ति के किसी दोषपूर्ण कार्य, उपेक्षा या व्यतिक्रम के कारण थी।

(4) उप-धारा (1) के अंतर्गत क्षतिपूर्ति के दावे को उस व्यक्ति के किसी दोषपूर्ण कार्य, उपेक्षा या व्यतिक्रम के कारण निष्फल नहीं किया जाएगा जिसके मृत्यु या स्थायी निशक्तता के संबंध में दावा किया गया है और न ही ऐसी मृत्यु या स्थायी निशक्तता के संबंध में वसूल की जाने वाली क्षतिपूर्ति की मात्रा को ऐसी मृत्यु या स्थायी निशक्तता के उत्तरदायित्व में ऐसे व्यक्ति के हिस्से के आधार पर कम किया जाएगा"।

धारा 92-ए की उप-धारा (1) के कारण, वाहन के स्वामी पर उसके उपयोग से उत्पन्न होने वाली दुर्घटना के परिणामस्वरूप होने वाली मृत्यु या स्थायी निशक्तता के संबंध में क्षतिपूर्ति का भुगतान करने का एक पूर्ण दायित्व डाला गया है। उप-धारा (3) के कारण, परिवादी से यह अभिवचन करने या स्थापित करने की अपेक्षा नहीं की जाती है कि मृत्यु या निशक्तता स्वामी या किसी अन्य व्यक्ति के दोषपूर्ण कार्य या उपेक्षा या व्यतिक्रम के कारण थी। उप-धारा (4) दो भागों में है। पहला भाग यह कथन करता है कि धारा के अंतर्गत क्षतिपूर्ति का दावा उस व्यक्ति के किसी दोषपूर्ण कार्य, उपेक्षा या व्यतिक्रम के कारण निष्फल नहीं होता है जिसकी मृत्यु हुई थी या जो स्थायी निशक्तता का शिकार हुआ था। दूसरा भाग यह कथन करता है कि क्षतिपूर्ति की मात्रा को कम नहीं किया जाना है, भले ही मरने वाले या स्थायी निशक्तता का शिकार होने वाले व्यक्ति ने अपनी मृत्यु या निशक्तता के लिए कुछ उत्तरदायित्व वहन किया हो।

इसलिए, धारा 92-ए के सीधे पाठन पर, विशेष रूप से, उसकी उप-धारा (4) के पहले भाग पर, ऐसा मानने का कोई आधार नहीं था कि उसके अंतर्गत दावा केवल तभी किया जा सकता था जब मरने वाले या स्थायी निशक्तता का शिकार होने वाले व्यक्ति ने लापरवाह न हो। उपबंध स्पष्ट होने के कारण, इसके अर्थान्वयन के लिए किसी बाहरी सहायता, जैसे कि उद्देश्यों और कारणों के कथन की आवश्यकता नहीं थी।

रमनभाई प्रभातीभाई (उपरोक्त) के मामले में निर्णय मुख्य रूप से इस प्रश्न से संबंधित था कि क्या मोटर दुर्घटना में मरने वाले व्यक्ति का भाई मोटर वाहन अधिनियम, 1939 की धारा 110-डी के अंतर्गत क्षतिपूर्ति का दावा कर सकता है। निर्णय के कंडिका 10 में यह टिप्पणी की गई थी:

"..... पैदल यात्री के दृष्टिकोण से इस देश की सड़कें मोटर वाहनों के उपयोग के कारण अत्यधिक खतरनाक हो गई हैं। 'मारो और भागो' के मामले जहां दुर्घटनाएं करने वाले मोटर वाहनों के चालक ज्ञात नहीं हैं, संख्या में बढ़ रहे हैं। जहां एक पैदल यात्री *अपनी ओर से बिना किसी लापरवाही के किसी मोटर चालक द्वारा घायल या मार दिया जाता है, चाहे वह लापरवाह हो या नहीं,* वह या उसके विधिक प्रतिनिधि, यथास्थिति, हर्जाना वसूल करने के हकदार होने चाहिए यदि *सामाजिक न्याय* के सिद्धांत का कोई अर्थ होना चाहिए। सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों और चोटों के प्रति समाज के उत्तरदायित्व को कुछ हद तक पूरा करने के लिए मोटर वाहनों की दुर्घटनाओं से उत्पन्न होने वाले हर्जाने के दायित्व को बिना किसी दोष के दायित्व बनाने के लिए दुनिया भर में एक निरंतर आंदोलन चल रहा है। उपरोक्त सामाजिक मांग को पूरा करने के लिए भारतीय विधि आयोग की सिफारिश पर अधिनियम में अध्याय VII-ए को शामिल किया गया था। अधिनियम की धारा 92-ए से 92-ई अध्याय VII-ए में पाई जाती हैं। अधिनियम की धारा 92-ई यह उपबंध करती है कि अध्याय VII-ए के उपबंध अधिनियम के किसी अन्य उपबंध या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य कानून में किसी बात के होते हुए भी प्रभावी होंगे। अधिनियम की धारा 22-ए यह उपबंध करती है कि जहां किसी व्यक्ति की मृत्यु या स्थायी निशक्तता मोटर वाहन या मोटर वाहनों के उपयोग से उत्पन्न होने वाली दुर्घटना के परिणामस्वरूप हुई है, वाहन का स्वामी, या, यथास्थिति, वाहनों के स्वामी, संयुक्त रूप से और पृथक रूप से, उक्त धारा के उपबंधों के अनुसार ऐसी मृत्यु या निशक्तता के संबंध में क्षतिपूर्ति का भुगतान करने के लिए दायी होंगे....."

उच्च न्यायालय द्वारा जिन शब्दों पर बल दिया गया है, उन्हें रेखांकित किया गया है। यह गद्यांश धारा 92-ए का निर्वचन नहीं करता है; वह वाक्य जिसमें रेखांकित शब्द आते हैं, सामाजिक न्याय के सिद्धांत का एक कथन है।

मीनू बी. मेहता और एक अन्य बनाम बालकृष्ण रामचंद्र नायर और एक अन्य के मामले में निर्णय संविधि में धारा 92-ए को शामिल करने से पहले सुनाया गया था और इसके निर्वचन में कोई सहायक नहीं है।

अपीलकर्ता धारा 92-ए के उपबंधों के लाभ का और स्थायी निशक्तता के लिए उसमें परिमाणित 7,500 रुपये की राशि में क्षतिपूर्ति का हकदार है।

अपील स्वीकार की जाती है। आक्षेपित निर्णय और आदेश अपास्त किया जाता है। उत्तरदाता अपीलकर्ता को 7,500 रुपये की राशि में क्षतिपूर्ति का भुगतान अपीलकर्ता की दावा याचिका की तिथि से भुगतान या वसूली तक 12 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से उस पर ब्याज के साथ करेगा।

लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं होगा।

जी.एन. अपील स्वीकार की गई।

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।